सीमा शुल्क बैगेज घोषणा विनियम, 2013

अधिसूचना सं. **90**/2013- सीमा शुल्क (गै.टे.) ,दिनांक 29 अगस्त,2013
संशोधन **शुद्धि पत्र** दिनांक 10 सितम्बर, 2013,
अधिसूचना सं. 133/2013- सीमाशुल्क (गै.टे.),दिनांक 30 दिसम्बर, 2013,
अधिसूचना सं. 10/2014- सीमाशुल्क (गै.टे.),दिनांक 10 फरवरी, 2014

सा.का.नि. सीमा शुल्क अधिनियम् 1962 की धारा 81 के उपवाक्य (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड़ एतद्द्वारा़ निम्नलिखित विनियम बनाता है यथा :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक** - इन विनियमों को 'सीमा शुल्क बैगेज घोषणा (संशोधन) विनियम् 2013' कहा जायेगा ।

2. **क्षेत्र-विस्तार** - ये विनियम भारत में आने वाले यात्रियों के किसी भी प्रकार के बैगेज़ जिसमें कोई भी पैकेज हो सकते हैं पर लागू होंगे । ये विनियम 1 मार्च, 2014 से लागू होंगे।

3. **बैगेज की घोषणा करने का तरीका** - भारत में आने वाले सभी यात्री इस विनियम के साथ संलग्न प्रपत्र 1 में अपने बैगेज की घोषणा करेंगे।

प्रपत्र 1

भारतीय सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र

(यह प्रपत्र भरने से पहले कृपया नीचे दी गई आवश्यक जानकारी पढ़ लें)

1. यात्री का नाम...
2. पारपत्र सं. .... 3. राष्ट्रीयता...
4. आगमन की तारीख .... 5. उड़ान संख्या...
6. बैगेज की संख्या (हैंड बैगेज सहित)..................................
7. उस देश का नाम जहां से आ रहे हैं..........................
8. पिछले छः दिनों में दौरा किए गए देशों के नाम
....
9. आयात की जा रही शुल्क योग्य वस्तुओं की कुल कीमत (रुपये में)
....

10 क्या आप भारत में निम्नलिखित मदें ला रहे हैं? (कृपया हां या नहीं पर निशान लगायें)

(i)	वर्जित वस्तुएं	हां/ नहीं
(ii)	स्वर्ण आभूषण (अनुमत्य परिमाण से अधिक)	हां/ नहीं
(iii)	स्वर्ण बुलियन	हां/ नहीं
(iv)	मांस और मांस उत्पाद/ डेयरी उत्पाद/ मत्स्य/ कुक्कुट उत्पाद	हां/ नहीं
(v)	बीज/ पौधे/ बीज/ फल/ फूल/ अन्य रोपड़ सामग्री	हां/ नहीं
(vi)	सेटेलाइट फोन	हां/ नहीं
(vii)	10,000/- रुपये से अधिक भारतीय मुद्रा	हां/ नहीं
(viii)	5,000/- अमेरिकी डॉलर अथवा इसके समतुल्य राशि से अधिक विदेशी मुद्रा नोट	हां/ नहीं
(ix)	10,000/- अमेरिकी डॉलर अथवा इसके समतुल्य राशि से अधिक मुद्रा सहित विदेशी मुद्रा की सकल कीमत।	हां/ नहीं

यदि उपर्युक्त प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर हां है तो आप रेड चैनल काउंटर सीमा शुल्क अधिकारी को रिपोर्ट करें

यात्री के हस्ताक्षर ....

महत्वपूर्ण सूचना

आयात हेतु निषेधितत मदों में शामिल है

1 मानचित्र और साहित्य जहां भारतीय बाहरी सीमाएं गलत तौर पर दर्शाई गई हैं ।

2 स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ ।

3. किसी विधिक रूप से प्रवर्तनीय बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का उल्लंशघन करने वाला सामान ।

4. वन्य जीव उत्पा्द ।

5. जाली मुद्रा के नोट/ सिक्के अथवा नकली मुद्रा के नोट ।

6. विनिर्दिष्ट जीवित पक्षी और पशु ।

सीमा शुल्क मुक्त भत्ता

पात्र यात्री	मूलक देश	शुल्क मुक्त भत्ता
भारतीय मूल के यात्री और भारत में निवासी 10 वर्ष से अधिक के विदेशी	नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन	रु.6000
भारतीय मूल के यात्री और	नेपाल, भूटान,	रु.35,000

भारत में निवासी 10 वर्ष से अधिक के विदेशी	म्यांमार, चीन से अन्य	
विदेशी मूल के पर्यटक	कहीं भी	रु 8,000 कीमत के उपहार और सोवेनियर
भारतीय यात्री जो एक वर्ष से अधिक विदेश में निवासी हैं	कहीं भी	सोने के जेवरात : भद्रपुरुष- रु.50,000 महिला- रु.1,00,000
सभी यात्री	कहीं भी	एल्कोहल लिकर अथवा वाइन : 2 लीटर
	कहीं भी	सिगरेट : 200 संख्या अथवा 50 तक सिगार अथवा तम्बाकू 250 ग्राम
18 वर्ष और अधिक के यात्री	कहीं भी	एक लैपटॉप कम्प्यूटर (नोट बुक कम्प्यूटर)

सीमा शुल्क शुल्कीय माल की कीमत पर 36.05 प्रतिशत (मूल सीमा शुल्क 35 प्रतिशत की दर + शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत की दर से) की दर से उद्ग्रहणीय है जो शुल्क मुक्त भत्ता के आधिक्य में है।

भारतीय सीमा शुल्क प्रतिबंधित मदों के अवैध आयात के विरुद्ध राष्ट्र की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी है। भारतीय सीमा शुल्क अधिकारी आप से प्रश्न करने और आप और आपके सामान की जांच करने के लिए प्राधिकृत हैं। यदि आप प्रश्न पूछे/ जांच किए जाने हेतु चयनित यात्रियों में से एक हैं तो आपसे शिष्टाचारपूर्वक, व्यायवसायिक और सम्मासनपूर्वक व्यवहार किया जाएगा।

यदि आपका साजो-समान आगमन पर दुर्व्यवस्थित /खो गया है, तो कृपया दुर्व्यवस्था साजोसमान - लस्थसीमा शुल्क अधिकारी से मुक्त भत्ता, यदि कोई हो, का पृष्ठांकन हासिल करें।

आयात हेतु प्रतिबंधित/ निषेधित मदों पर अद्यतन सूचना हेतु अथवा किसी परेशानी अथवा शिकायत के मामले में, कृपया पीआरओ सीमा शुल्क से संपर्क करें।

भारतीय सीमा शुल्क भारत में आपका स्वागत करती है।